Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में जिला परिषद सदस्य 10 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 सितम्बर, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पुरखाराम, जिला परिषद सदस्य वार्ड नं. 16 जिला बीकानेर को परिवादी से **10 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुरखाराम, जिला परिषद सदस्य बीकानेर द्वारा परिवादी के पिता को आवंटित जमीन में जिला परिषद सदस्य होने के नाते कोई पुलिस/न्यायालय में कार्यवाही नही करने तथा जिला परिषद सदस्य होने का दबाव बनाकर **21 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए पुरखाराम पुत्र गुमनाराम निवासी खारी चारणान्, हाल जिला परिषद सदस्य वार्ड नं. 16 जिला बीकानेर को परिवादी से **10 लाख रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।